पत्र सूचना शाखा
सूचना एवं जन संपर्क विभाग, उ0प्र0

आधुनिक तकनीक से धारा–24 सीमांकन को मिल रही नई गति राजस्व परिषद करा रहा है मंडलवार विशेष प्रशिक्षण

लखनऊ : 15 जुलाई, 2026

राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की 'धारा–24 के अंतर्गत जीएनएसएस रोवर आधारित भूमि सीमांकन कार्य' को और अधिक सटीक, पारदर्शी, प्रभावी एवं सुगम बनाने के उद्देश्य से प्रदेश के सभी 18 मंडलों में एक दिवसीय तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है।

राजस्व परिषद के आयुक्त एवं सचिव द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, प्रशिक्षण के माध्यम से संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को जीएनएसएस रोवर के बेहतर उपयोग, इसकी तकनीकी विशेषताओं तथा धारा–24 के अंतर्गत सीमांकन की मानकीकृत कार्यप्रणाली के संबंध में व्यावहारिक जानकारी प्रदान की जा रही है। कार्यक्रम के सुचारु संचालन एवं प्रभावी समन्वय के लिए प्रत्येक मंडल में अपर आयुक्त स्तर के अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित करने के निर्देश दिए गए हैं। यह मंडलवार प्रशिक्षण कार्यक्रम 9 जुलाई से 20 जुलाई, 2026 तक संचालित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत 9 जुलाई को सहारनपुर एवं गोरखपुर, 10 जुलाई को मेरठ एवं बस्ती, 13 जुलाई को मुरादाबाद एवं देवीपाटन, 14 जुलाई को बरेली एवं अयोध्या तथा '15 जुलाई को अलीगढ़ एवं लखनऊ मंडल में प्रशिक्षण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।' आगामी चरण में 16 जुलाई को आगरा एवं कानपुर, 17 जुलाई को झांसी एवं मिर्जापुर, 18 जुलाई को चित्रकूट एवं वाराणसी तथा 20 जुलाई को प्रयागराज एवं आजमगढ़ मंडल में प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा।

राजस्व परिषद की इस पहल से धारा–24 के अंतर्गत भूमि सीमांकन में आधुनिक तकनीक का अधिकतम एवं प्रभावी उपयोग सुनिश्चित होगा। साथ ही सीमांकन कार्य की गुणवत्ता, गति, सटीकता एवं पारदर्शिता में और अधिक सुधार आएगा तथा नागरिकों को भूमि सीमांकन से संबंधित सेवाएं अधिक सुगमता एवं समयबद्धता के साथ उपलब्ध हो सकेंगी।

सम्पर्क सूत्र– शिखा अवस्थी

राम यतन/03:40 **PM**